

FORM NO.111

फर्द अहकाम





(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

कैलाश चन्द वर्गै बनाम दुर्गाप्रसाद वर्गै

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 1/2022

तारीख हुज्ज	हुज्ज या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुज्ज हुज्ज की तारीख व तारीख हुज्ज
08.12.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री कानाराम पूनियाँ एडो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 09.01.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>	<p>09/3/2022 8-12-2022</p>
08.05.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1060 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दराभद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	<p>अनिल कुमार निधान किराता शर्मा आदेश की पालना नं. सं. 1060 दि. 3.2.23 द्वारा की गयी।  91R </p>